**दिनांक 12–05–2022**

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र क–12 पर सुना गया।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र क–12 अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सी.पी.सी. मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी अनिल कुमार का देहान्त हो गया है। अनिल कुमार ने अपनी मृत्यु पर अपने जायज वारिस के रूप में अपनी पत्नी शालिनी देवी व पुत्र कुणाल नाबालिग आयु 14 वर्ष छोड़े हैं। जिन्हें वाद हाजा चलाने का अधिकार है। जिन्हें वाद हाजा में बतौर वारिसान प्रतिवादी प्रतिस्थापित कराए जाने हेतु वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित संशोधन को वादपत्र में समावेशित किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अनिल कुमार की मृत्यु हो चुकी है। वादी की ओर से प्रार्थनापत्र क–12 मृतक प्रतिवादी के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवश्यक एंव औपचारिक प्रकृति का है, प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः प्रार्थनापत्र क–12 न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र क–12 स्वीकार किया जाता है। वादी के अधिवक्ता आवश्यक संशोधन नियत तिथि तक कर न्यायालय से प्रमाणित करावें।

पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वाद बिन्दु दिनांक 18–07–2022 को पेश हो।

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।
यू.पी. 03212